

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.



मि०न० - 09/2024

अनवान :-

1. प्रकाश पुत्र श्री लीलाधर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. लीलाधर पुत्र श्री नत्थूराम, जाति जाट, निवासी खचवाना, तहसील भादरा हनुमानगढ़।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री लीलाधर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेश बैनीवाल वादी
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादी


निर्णय

दिनांक: 15-05-24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 124/47 के मु०न० 5 के किला नं० 1 की 0.063है०, किला नं० 2 की 0.076है०, किला नं० 9 की 0.253है०, किला नं० 10/2 की 0.252है०, किला नं० 11/2 की 0.240है०, किला नं० 12 की 0.253है०, किला नं० 19/2 की 0.252है०, किला नं० 20/3 की 0.227है०, किला नं० 22/2 की 0.240है० की कुल 1.8560है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 लीलाधर के नाम एवं इसी प्रकार चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 122/47 के मु०न० 5 के किला नं० 10/1 की 0.001है०, किला नं० 11/1 की 0.013है०, किला नं० 19/1 की 0.001है०, किला नं० 20/1 की 0.013है०, किला नं० 20/2 की 0.013है०, किला नं० 22/1 की 0.013है०, मु०न० 6 के किला नं० 6/3 की 0.013है०, किला नं० 7/1 की 0.004है०, मु०न० 12 के किला नं० 2/1 की 0.025है०, किला नं० 2/2 की 0.013है०, किला नं० 3/1 की 0.025है०, किला नं० 4/1 की 0.025है०, किला नं० 9/1 की 0.013है०, किला नं० 12/1 की 0.0009है० कुल 0.1810है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लीलाधर के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा कानूनी अधिकारी है। अतः उक्त वाद न्यायालय हाजा में पेश किया है। यह ही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 ने आपसी


उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
जिला-हनुमानगढ़




सहमती से राजीनामा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 3 को वकील वादी की ओर से तर्क अंकित किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी प्रकाश द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दरतावेजात प्रदर्शित करवाये गये। जिनमें वर्तमान जमाबंदी चक 6 डीपीएन खाता सं० 124/47 प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 6 डीपीएन खाता सं० 122/47 प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 7 डीपीएन खाता सं० 138/37 प्रदर्श 3 पैतृक जमाबंदी खाता सं० 38/42 प्रदर्श 4 तथा सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये जिन्हे सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 124/47 के मु०न० 5 के किला नं० 1 की 0.063 है०, किला नं० 2 की 0.076 है०, किला नं० 9 की 0.253 है०, किला नं० 10/2 की 0.252 है०, किला नं० 11/2 की 0.240 है०, किला नं० 12 की 0.253 है, किला नं० 19/2 की 0.252 है०, किला नं० 20/3 की 0.227 है०, किला नं० 22/2 की 0.240 है० की कुल 1.8560 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 लीलाधर के नाम एवं इसी प्रकार चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 122/47 के मु०न० 5 के किला नं० 10/1 की 0.001 है०, किला नं० 11/1 की 0.013 है०, किला नं० 19/1 की 0.001 है०, किला नं० 20/1 की 0.013 है०, किला नं० 20/2 की 0.013 है०, किला नं० 22/1 की 0.013 है०, मु०न० 6 के किला नं० 6/3 की 0.013 है०, किला नं० 7/1 की 0.004 है, मु०न० 12 के किला नं० 2/1 की 0.025 है, किला नं० 2/2 की 0.013 है०, किला नं० 3/1 की 0.025 है, किला नं० 4/1 की 0.025 है०, किला नं० 9/1 की 0.013 है, किला नं० 12/1 की 0.0009 है० कुल 0.1810 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लीलाधर के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। उक्त वाद भूमि जमाबंदी प्रदर्श 4 से पैतृक कृषि भूमि साबित है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रदर्श 5 के द्वारा प्रतिवादी सं० 01 लीलाधर के वादी प्रकाश तथा प्रतिवादी संख्या 2 सुभाषचन्द्र के अलावा अन्य वारिस नहीं होना बताया गया हैं। प्रतिवादी सं० 1 लीलाधर ने राजीखुशी अपनी इच्छा से उक्त कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा की कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सुभाषचन्द्र के पक्ष में अपना हक त्याग कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया है। चूंकि प्रतिवादी लीलाधर के नाम चक 7 डीपीएन के खाता संख्या 138/37 के मु०न० 32 की कुल 0.8260 है० नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो यथावत् प्रतिवादी सं० 1 लीलाधर के नाम ही कायम है।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उपरोक्त विवेचानुसार एवं मुताबिक राजीनामा रवीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 124/47 के मु0न0 5 के किला नं0 1 की 0.063है0, किला नं0 2 की 0.076है0, किला नं0 9 की 0.253है0, किला नं0 10/2 की 0.252है0, किला नं0 11/2 की 0.240है0, किला नं0 12 की 0.253है0, किला नं0 19/2 की 0.252है0, किला नं0 20/3 की 0.227है0, किला नं0 22/2 की 0.240है0 की कुल 1.8560है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर के नाम एवं इसी प्रकार चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 122/47 के मु0न0 5 के किला नं0 10/1 की 0.001है0, किला नं0 11/1 की 0.013है0, किला नं0 19/1 की 0.001है0, किला नं0 20/1 की 0.013है0, किला नं0 20/2 की 0.013है0, किला नं0 22/1 की 0.013है0, मु0न0 6 के किला नं0 6/3 की 0.013है0, किला नं0 7/1 की 0.004है, मु0न0 12 के किला नं0 2/1 की 0.025है, किला नं0 2/2 की 0.013है0, किला नं0 3/1 की 0.025है, किला नं0 4/1 की 0.025है0, किला नं0 9/1 की 0.013है, किला नं0 12/1 की 0.0009है0 कुल 0.1810है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लीलाधर के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 लीलाधर का नाम कलमजन किया जाकर वादी प्रकाश व प्रतिवादी संख्या 2 सुभाषचन्द्र को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो। **राजीनामा निर्णम का भाग रहेगा।**

निर्णय आज दिनांक 15-05-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



(ओ.पी. चन्देलिया)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भारत, जिला-हनुमानेड
भादरा जिला हनुमानेड

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि०न० -09/2024

अनवान : -

1. प्रकाश पुत्र श्री लीलाधर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- बनाम वादी
1. लीलाधर पुत्र श्री नत्थूराम, जाति जाट, निवासी खचवाना, तहसील भादरा हनुमानगढ़।
 2. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री लीलाधर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा हनुमानगढ़।
 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ प्रकाश चंदेलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जून बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 124/47 के मु०न० 5 के किला नं० 1 की 0.063है०, किला नं० 2 की 0.076है०, किला नं० 9 की 0.253है०, किला नं० 10/2 की 0.252है०, किला नं० 11/2 की 0.240है०, किला नं० 12 की 0.253है, किला नं० 19/2 की 0.252है०, किला नं० 20/3 की 0.227है०, किला नं० 22/2 की 0.240है० की कुल 1.8560है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 लीलाधर के नाम एवं इसी प्रकार चक 6 डीपीएन के खाता संख्या 122/47 के मु०न० 5 के किला नं० 10/1 की 0.001है०, किला नं० 11/1 की 0.013है०, किला नं० 19/1 की 0.001है०, किला नं० 20/1 की 0.013है०, किला नं० 20/2 की 0.013है०, किला नं० 22/1 की 0.013है०, मु०न० 6 के किला नं० 6/3 की 0.013है०, किला नं० 7/1 की 0.004है, मु०न० 12 के किला नं० 2/1 की 0.025है, किला नं० 2/2 की 0.013है०, किला नं० 3/1 की 0.025है, किला नं० 4/1 की 0.025है०, किला नं० 9/1 की 0.013है, किला नं० 12/1 की 0.0009है० कुल 0.1810है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लीलाधर के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 लीलाधर का नाम कलमजन किया जाकर वादी प्रकाश व प्रतिवादी संख्या 2 सुभाषचन्द्र को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15-05-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(ओ.पी. चन्देलिया),
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

